न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–कानाराम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः–44/2023 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व में एयु फाईनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय– 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 राजस्थान।

..........प्रार्थी

बनाम

1. गांगेराम पुत्र श्री इन्द्राज जाति कुम्हार पता–वार्ड नं0 3, ढाणी खोखरान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

......(मूलऋणी)

2. प्रदीप कुमार पुत्र श्री गांगेराम जाति कुम्हार पता–वार्ड नं0 3, ढाणी खोखरान, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ एवं प्रदीप कुमार पता–ग्राम पंचायत पट्टा नं0 23, ढाणी खोखरान, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. हेतराम पुत्र श्री इन्द्राज जाति कुम्हार पता–ढाणी खोखरान, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

................(सहऋणी, बंधकग्रहिता)

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

आदेश दिनांकः–29.01.2025

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.02.2019 को 'लोन एग्रीमेन्ट' सं0 L9001060116917604 के तहत 18,00,000/–रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। ग्राम पंचायत राजपुरा पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा एक आवासीय पट्टा सं0 23 पैमाईशी 2475 वर्गफुट अर्थात 275 वर्गगज गांव खोखरान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि दिनांक 05.11.2015 को प्रदीप कुमार पुत्र श्री गांगेराम जाति कुम्हार निवासी गांव खोखरान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है। उक्त भूखण्ड को उप पंजीयक भादरा द्वारा प्रदीप कुमार पुत्र गांगेराम के पक्ष में दिनांक 04.12.2015 को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार प्रदीप कुमार पुत्र गांगेराम जाति कुम्हार निवासी–गांव खोखरान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ उक्त आवासीय भूखण्ड पैमाईशी 2475 वर्गफुट का एकल स्वामी है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/ आडमान किया।

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 08.11.2022 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 15,88,322/–रूपये (अखरे पन्द्रह लाख ईठासी हजार तीन सौ बाईस रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियॉं व अन्य खर्चे दिनांक 10.11.2022 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 11.11.2022 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 16.11.2022 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना समाचार पत्र 'दैनिक नवज्योति व इण्डियन एक्सप्रेस' में दिनांक 08.12.2022 को जारी की थी। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

को नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की ।

अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहनशुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। जो तामील होकर आया। अप्रार्थी मांगेराम पुत्र इन्द्राज जाति कुम्हार वार्ड नं0 03 निवासी ढाणी वार्ड नं0 03 ढाणी खोखरान तह0 भादरा दिनांक 13.03.2024 को उपस्थित होकर ऋण राशि जमा करवाने हेतु 06 माह का समय चाहा, दिनांक 05.06.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री यादवेन्द्र अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण के वकील को कई अवसर दिये गये, परन्तु कोई जवाब पेश नहीं किया और ना ही स्वयं उपस्थित हुये। आवाज लगाई गयी, बावजूद भी स्वयं उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी की अनुपस्थित दर्ज की गयी। अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति ग्राम पंचायत राजपुरा पंचायत समिति भादरा जिलाहनुमानगढ द्वारा एक आवासीय पट्टा सं0 23 पैमाईशी 2475 वर्गफुट अर्थात 275 वर्गगज है, जिसका एकल स्वामी प्रदीप कुमार पुत्र श्री मांगेराम जाति कुम्हार निवासी गांव खोखरान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़